भारत सरकार

नागर विमानन मंत्रालय

लोक सभा

मौखिक प्रश्न संख्या: 299

गुरुवार, 20 मार्च, 2025 (29 फाल्गुन, 1946 (शक) को दिया जाने वाला उत्तर

उपयोगकर्ता विकास शुल्क

***299. प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़:**

श्रीमती सुप्रिया सुले:

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) उपयोगकर्ता विकास शुल्क और अन्य शुल्कों में वृद्धि के कितने प्रतिशत भाग का विमानपत्तन के बुनियादी ढांचे और सुविधाओं को बेहतर बनाने में पुनः निवेश किया जाता है;

(ख) क्या सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए कोई दिशा-निर्देश जारी किए हैं कि इस राजस्व का उपयोग निजी लाभ को अधिकतम करने के बजाय यात्री-केंद्रित सुधारों पर किया जाए और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यह सुनिश्चित करने के लिए क्या तंत्र मौजूद है;

(ग) क्या विमानपत्तन के विकास के लिए यात्री शुल्क के संग्रह और उपयोग में पारदर्शिता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार या विमानपत्तन आर्थिक नियामक प्राधिकरण इस संबंध में कोई रिपोर्ट प्रकाशित करता है कि यात्री शुल्क का व्यय किस प्रकार किया जाता है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) सरकार ने यह सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाए हैं कि निजी विमानपत्तन संचालक इन राजस्वों के संबंध में वित्तीय जवाबदेही बनाए रखें;

(च) क्या यात्रियों ने विमानपत्तन शुल्कों में हुई वृद्धि के फलस्वरूप विमानपत्तन के बुनियादी ढांचे और सेवाओं में उल्लेखनीय सुधार देखा है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(छ) विगत तीन वर्षों के दौरान प्रमुख निजी और सार्वजनिक विमानपत्तनों में क्या प्रमुख परिवर्धन किए गए हैं?

उत्तर

नागर विमानन मंत्री (श्री किंजरापु राममोहन नायडू)

(क) से (छ): विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

"उपयोगकर्ता विकास शुल्क" के संबंध में प्रो. वर्षा एकनाथ गायकवाड़ तथा श्रीमती सुप्रिया सुले द्वारा पूछे गए राज्य सभा के दिनांक 20.03.2025 के मौखिक प्रश्न संख्या 299 के भाग (क) से (छ) के उत्तर में संदर्भित विवरण।

(क): उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ) और अन्य शुल्क, प्रमुख हवाईअड्डों पर यात्री सुख-सुविधाओं, सेवाओं और सुविधाओं के प्रावधान के साथ-साथ हवाईअड्डे के विकास, प्रबंधन, अनुरक्षण, प्रचालन और विस्तार के लिए प्रदान की गई वैमानिकी सेवाओं के लिए समग्र हवाईअड्डा प्रभारों का भाग हैं। एईआरए अधिनियम 2008 और टैरिफ दिशानिर्देश, 2011 के प्रावधानों के अनुसार, विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) प्रमुख हवाईअड्डों पर प्रदान की जाने वाली वैमानिकी सेवाओं के लिए यूडीएफ सहित ऐसे टैरिफ निर्धारित करता है। यूडीएफ सहित इन हवाईअड्डा प्रभारों का उद्देश्य हवाईअड्डे के प्रचालन की कुशल लागत की प्रतिपूर्ति करना है, साथ ही हवाईअड्डे के आर्थिक और व्यवहार्य प्रचालन को सुनिश्चित करने के लिए हवाईअड्डे के अवसंरचना और यात्री सुविधाओं के विस्तार/उन्नयन/आधुनिकीकरण के लिए बनाई गई वैमानिकी परिसंपत्तियों के लिए लगाए गए पूंजीगत व्यय पर उचित प्रतिफल प्राप्त करना है। दूसरे शब्दों में, यूडीएफ और अन्य वैमानिकी प्रभार हवाईअड्डा प्रचालक को हवाईअड्डा सेवाएं प्रदान करने के लिए आवश्यक लक्षित राजस्व की वसूली करने में सक्षम बनाते हैं, न कि हवाईअड्डा प्रचालक के लिए कोई अधिशेष निधि का सृजन करते हैं।

(ख) से (ङ): भारत सरकार ने संसद के अधिनियम के तहत वर्ष 2009 में एक स्वतंत्र आर्थिक टैरिफ विनियामक के रूप में भारतीय विमानपत्तन आर्थिक विनियामक प्राधिकरण (एईआरए) की स्थापना की थी। एईआरए प्रमुख हवाईअड्डों पर वैमानिकी सेवाओं के लिए टैरिफ निर्धारित करने हेतु उत्तरदायी है, जिसमें निम्नलिखित कारकों को ध्यान में रखते हुए उपयोगकर्ता विकास शुल्क (यूडीएफ), लैंडिंग प्रभार और पार्किंग शुल्क शामिल हैं।

(i) वैमानिकी परिसंपत्तियों के लिए निवेश पर प्रतिफल (आरओआई) (ii) प्रचालन व्यय (iii) मूल्यह्रास (iv) कर

एईआरए पांच वर्ष की नियंत्रण अवधि के लिए मूल्य सीमा तंत्र का उपयोग करते हुए वैमानिकी टैरिफ को विनियमित करता है, जिससे हवाईअड्डा प्रचालकों और यात्रियों के हितों के बीच उचित संतुलन सुनिश्चित किया जाता है। एईआरए द्वारा हवाईअड्डा प्रचालकों को वर्तमान और भावी यात्री मांग को पूरा करने के लिए संबंधित हवाईअड्डों पर उन्नयन/आधुनिकीकरण या नए अवसंरचना के विकास के लिए अपने निवेश पर प्रतिफल हेतु यूडीएफ और अन्य प्रभारों की अनुमति दी जाती है। अतः ये शुल्क हवाईअड्डा प्रचालकों द्वारा हवाईअड्डा अवसंरचना/वैमानिकी परिसंपत्तियों के विकास और हवाईअड्डा के प्रचालन के लिए किए गए निवेश के एवज में हैं। इसके अलावा, पारदर्शिता बनाए रखने और हितधारक भागीदारी को प्रोत्साहित करने के लिए, एईआरए हवाईअड्डा शुल्क निर्धारित करते समय व्यापक परामर्श आयोजित करता है। यह अपनी वेबसाइट पर एक मसौदा परामर्श पत्र प्रकाशित करता है, जिसमें इसके विनियामक दृष्टिकोण और संबंधित हवाईअड्डे के वित्तीय पहलुओं का विवरण दिया जाता है। यह रूपरेखा सुनिश्चित करती है कि यात्री शुल्क का उपयोग हवाईअड्डे के विकास के लिए प्रभावी ढंग से किया जाए और साथ ही वित्तीय जवाबदेही को बनाए रखा जाए और विमानन क्षेत्र में संधारणीय विकास को बढ़ावा दिया जाए।

(च) और (छ): देश भर में हवाईअड्डों के अवसंरचना में उल्लेखनीय सुधार हुआ है। पिछले 3 वर्षों में चेन्नई, बैंगलोर, पोर्ट ब्लेयर, लखनऊ, जयपुर, तिरुचिरापल्ली, पुणे आदि प्रमुख हवाईअड्डों पर कई नए टर्मिनल भवनों का उद्घाटन किया गया है और दिल्ली, हैदराबाद आदि में बड़े विस्तार/ स्तरोन्नयन किए

गए हैं, जिनमें और अधिक रनवे, नए टैक्सीवे और बढ़ते यात्री यातायात को समायोजित करने के लिए बढ़ी हुई टर्मिनल क्षमता जैसी संवर्द्धन शामिल हैं।

इसके अतिरिक्त, भारतीय हवाईअड्डों पर पूंजीगत निवेश के माध्यम से हवाईअड्डों के विकास और स्तरोन्नयन को विश्व स्तर पर यात्रियों से सराहना मिली है, जो एयरपोर्ट काउंसिल इंटरनेशनल और स्काईट्रैक्स रिसर्च अवार्ड्स द्वारा प्रकाशित हवाईअड्डा सेवा गुणवत्ता (एएसक्यू) रेटिंग में अपने संबंधित श्रेणियों में पीपीपी और एएआई हवाईअड्डों की रैंकिंग में सुधार से परिलक्षित होता है।
